261

संख्या–418/XVIII-(2)/F/13-04(10)/2011

प्रेषक,

एम0एस0चौहान,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC),
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 20 जुलाई 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में भारतीय वायुसेना के लम्बित बीजकों के भुगतान एवं राज्य में मानसून अवधि के दौरान त्वरित प्रभाव से खोज एवं बचाव आदि से सम्बन्धित राहत कार्यों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–61/DMMC/XIV-314(2010), दिनांक 17.4.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसून अवधि 2012 में जनपद उत्तरकाशी में दैवीय आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु भारतीय वायुसेना के हैलीकाप्टर का प्रयोग करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजकों का भुगतान एवं वर्ष 2013 में राज्य में मानसून अवधि के दौरान त्वरित प्रभाव से खोज एवं बचाव आदि से सम्बन्धित राहत कार्यों हेतु कुल ₹ 2.50 करोड़ (₹ दो करोड़, पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– स्वीकृत धनराशि भारतीय वायुसेना के लम्बित बीजकों, खोज एवं बचाव तथा राहत सामग्री वितरण आदि कार्यों की मदों में ही नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. का उत्तरदायित्व होगा। स्वीकृत धनराशि का वितरण खोज एवं बचाव कार्यों हेतु तत्परतापूर्वक कराया जायेगा।

4– धनराशि का व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.3.2014 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7– कोषागार से यथाआवश्यकता धनराशि आहरण से सम्बन्धित बिलों में सचिव, आपदा प्रबन्धन से प्रतिहस्ताक्षर कराकर ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

8– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाली वित्तीय स्वीकृतियां वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–284/XXVII (1)/2013, दिनांक 30.3.2013 में निहित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–69 NP/वित्त अनु0–5/2013, दिनांक 20 जुलाई, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एस0चौहान)
अनु सचिव

क्रमशः.....2

संख्या–418(1)/XVIII-(2)/F/13-04(10)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)
अनु सचिव।